संख्या-159/2026/163/22-2-2025-17(748)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र श्री नन्हेंलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-705/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024), दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र श्री नन्हेंलाल, जो लखनपुर, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर द्वारा पुत्री सोनतारा को परिवादी झब्बू लाल के पुत्र अमर सिंह द्वारा भगा ले जाने की रंजिश में दिनांक 10/11.08.1991 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 06 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-17/1992, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2001 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.04.2002 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 04.04.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 माह 26 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 02 माह 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.11.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0-1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर द्वारा पुत्री सोनतारा को परिवादी झब्बू लाल के पुत्र अमर सिंह द्वारा भगा ले जाने की रंजिश में दिनांक 10/11.08.1991 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 06 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

//shasanadesh.up.gov.in

गया है। बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करता है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र नन्हेलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर (बन्दी संख्या-25991) पुत्र श्री नन्हेंलाल, निवासी जनपद-फर्रुखाबाद की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-159/2026/163(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.

शासनादेश संख्या-159/2026/163/22-2-2025-17(748)/2017

दिनांकः 11 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र श्री नन्हेंलाल, जो लखनपुर, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर द्वारा पुत्री सोनतारा को परिवादी झब्बू लाल के पुत्र अमर सिंह द्वारा भगा ले जाने की रंजिश में दिनांक 10/11.08.1991 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 06 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-17/1992, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2001 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.04.2002 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 04.04.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 माह 26 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 02 माह 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.11.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0-1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर द्वारा पुत्री सोनतारा को परिवादी झब्बू लाल के पुत्र अमर सिंह द्वारा भगा ले जाने की रंजिश में दिनांक 10/11.08.1991 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 06 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करता है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र नन्हेलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।